

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से **350 रूपए प्रतिदिन या 10,500 रूपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल की परिभाषा निम्नलिखित होगी: —

(i) **अकुशल:** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अति० मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में ।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (कशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(कशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
1	2	3
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड-II/गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/बिटुमेन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाइन मैन /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर एव रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 वर्ष का अनुभव वाले) /खलासी (0 से 3 वर्ष का अनुभव वाले) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/मक्कर ।	350	10500
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II / मैसन ग्रेड-II / स्यूअर मैन / ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II / सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रेन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन) / क्रेन-मैन / डिस्टेम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फ्लोर-पॉलिशर/ /स्टोन ड्रेसर/माली वैल-सिंकर/ वहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड-II/पाइप फिटर ग्रेड-II/ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/बैटरी चार्जर	371.77	11153

/ ड्रैसर (अर्हित/अनुभवी)/ हैमरमैन/ कुक/ वल्कनाइज़र/ नोजल मैन/ टनल मैन / एलॉए ट्रोलो ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/ मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव वाले)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 वर्ष का अनुभव वाले) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट / ऑटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैब एटैन्डेन्ट / ऑटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ स्टोन-ब्रेकर/ रॉक कैरियर ब्रेकर/ स्टोन-कशर

1^{1/2} इंच से 2 इंच
2074.95 रुपए प्रति सौ घन फुट

1 इंच से 1¼ इंच रुपये 2314.48
रुपए प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड-I मैसन ग्रेड- I / ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड-I / अप-होलसल्टर ग्रेड- I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ऑपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड-II / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड-II / काम्प्रेसर ऑपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड- I/ दर्जी या टेलर ग्रेड- II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रैसर / पलम्बर ग्रेड-I / पाइप फिटर ग्रेड- I/ ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-ऑपरेटर / संरचानात्मक फिटर ग्रेड-II / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर ऑपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिग प्लांट फिटर / प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-ऑपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग ऑपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर / सक्रेपर-ऑपरेटर / लोडर ऑपरेटर / केन-ऑपरेटर / युकलिड-ऑपरेटर / वैगन ड्रिल ऑपरेटर / बोरिंग-ऑपरेटर / एस.एल.डी. केन ऑपरेटर/ प्लांट-ऑपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैल्डर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर/ खलासी/ जमादार / वाइन्डर/ ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/ कम्पाउन्डर/ पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवलरज साँ मिल कटर/ केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड- II / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / काम्प्रेसर/ रौकर शोवेल ऑपरेटर / स्नो कटर ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन / वर्क-मिस्ट्री

रु. पै.
406.36

रु. पै.
12191

/ मोटर-मेट / ट्रेक्टर झाइवर / टेलीफोन मकैनिक / डी.जी.सेट
ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड- III .

उच्च कुशल

	रु. पै.	रु. पै.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I / चार्ज मैन ग्रेड- I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड- I/ टर्नर ग्रेड- I/ मकैनिक आल राउन्डर ऑपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर झाइवर / बुलडोजर झाइवर/ वायरमैन / ऑटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	483.17	14495

लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिन्टर / झाइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	406.36	12191

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कामगार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):	350 रूपए प्रतिदिन	10500 रूपए प्रतिमास
---	----------------------	------------------------

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।

अर्ध-कुशल	363.08 रूपए प्रतिदिन	10892 रूपए प्रतिमास
-----------	-------------------------	------------------------

1. सहायक इलैक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर

8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रु 396.63 प्रतिदिन
या
रु. 11,899 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर ।

रु0 439.89 प्रतिदिन
या
रु. 13,197
प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0 396.63
प्रतिदिन या
रु. 11,899
प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रु 416.97 प्रतिदिन
या
रु. 12509 प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0 491.77
प्रतिदिन
रु. 14,753
प्रतिमास

रनिग-स्टाफ:

	प्रतिदिन	प्रतिमास
1 ड्राइवर	रु.444.50	रु.13,335
2 कन्डक्टर	रु.405.64	रु.12,169
3 क्लीनर-कम-कन्डक्टर	रु.379.57	रु.11,387
4 पार्ट-टाइम बुकिंग क्लर्क	रु.243.72	रु. 7,312

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल.**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल.**— अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए/किए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल.**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल.**— उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2

25.05.2022

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय,
उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास,
गई है सुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

अकुशल:

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर/
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसेंजर /
क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार
/ फायरमैन /
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 350 प्रतिदिन रुपए 324.47 प्रतिदिन
रुपए 10500 मासिक रुपए 9734 मासिक

अर्धकुशल:

हैडपोर्टर/ पैंटरीमैन / काफी टीमेकर /
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर
(सिनेमा)/सहायक लाइनमैन/ सहायक
-आपरेटर/वाइंडर एसीस्टेंट
/बिल-कलैक्टर/कनवैसर/कुक/असिस्टेंट-
हलवाई/ बुक-बाइंडर/स्टीचर
/रूलिंग-कटिंग औक्शनर/ माली/

रुपए 369.93 प्रतिदिन तथा रुपए 339.12 प्रतिदिन
रुपए 11098 प्रतिमाह तथा रुपए 10174 प्रतिमाह

सीवरमैन / होटल-गाइड
 / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
 सहायक-टर्नर / सहायक/वैल्डर
 सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक/सेल्जमैन
 / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
 बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर/वेटर/
 वेयरर/ ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर
 / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /
 कलर्क/(नॉन मेट्रिक/ सहायक स्टोर
 कीपर/ डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन/
 इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट/
 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर /
 रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर /
 ड्राइवर / सहायक टेलर/कटर(टेलरिंग)/
 जनरल मकैनिक/ हलवाई कुक/ कन्फैक्शनर
 / बेकर/स्टुवार्ड/बटलर/फिटर/ ड्राफ्टसमैन
 / टेलीफोन-ओपरेटर/कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ
 / शू-मेकर/ शाल कारपेट वीविंग /
 कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर / सेल्जमैन /
 ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर / रेगुलर
 मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर /
 कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक) / मुनीम /
 रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वियरर / स्टोर-कीपर
 / हैड वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल
 होटल)/ लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र
 धारक, जो इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 406.36 प्रतिदिन रुपए 373.51 प्रतिदिन
 रुपए 12191 मासिक रुपए 11205 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य
 खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर /
 हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
 / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रुपए 422.85 प्रतिदिन रुपए 391.38 प्रतिदिन
 रुपए 12686 मासिक रुपए 11741मासिक

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
अकुशल कर्मकार		
1 वृक्षों का गिराना	रुपए 350	रुपए 10500
1 लॉपर (छांगी)	रुपए 369.93	रुपए 11098
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
2 लॉगिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. सायर (चिरानी)	रुपए 439.89	रुपए 13197
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 413.02	रुपए 12391
3 ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. ढुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 357.92	रुपए 10738
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 357.92	रुपए 10738
4 रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 439.89	रुपए 13197
2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391

5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फ्लोटिंग) द्वारा ढुलाई:		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 471.27	रुपए 14138
	2. तारू	रुपए 452.33	रुपए 13570
	3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 422.85	रुपए 12686
	4. दरियामैन	रुपए 452.33	रुपए 13570
	5. घालू	रुपए 384.72	रुपए 11542
	6. जमादार	रुपए 384.72	रुपए 11542
6	यत्रीकृत लोडिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 442.53	रुपए 13276
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 413.02	रुपए 12391
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 387.43	रुपए 11623
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 387.43	रुपए 11623
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 509.43	रुपए 15283
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 393.38	रुपए 11801
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 357.92	रुपए 10738
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391
	2. सुपरवाइजर	रुपए 409.07	रुपए 12272
	3. हैड मिस्त्री	रुपए 413.02	रुपए 12391
	4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 413.02	रुपए 12391
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 363.08	रुपए 10892
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 363.08	रुपए 10892
	7. हेल्पर	रुपए 357.92	रुपए 10738
	8. कटर मैन	रुपए 357.92	रुपए 10738
9	कत्था निकासी :		
	1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 357.92	रुपए 10738
	2. कत्था सुपरवाइजर / कत्था प्रोसेसर	रुपए 357.20	रुपए 10716

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)

ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 483 दैनिक

रुपए 14490 मासिक

टिप्पणी:-

- 1 समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) अकुशल.- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) अर्ध-कुशल: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

संशोधित न्यूनतम दरें

अकुशल:

दैनिक	मासिक
रूपए	रूपए
350	10500

अर्धकुशल:

दैनिक	मासिक
रूपए	रूपए

एसिसटेंट इलेक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, सी-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।

360.92	10828
--------	-------

कुशल:

दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड- II वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं ।

रूपए रूपए
406.36 12191

दैनिक मासिक

उच्च-कुशल:

बॉयलर एटेंडेंट (प्रथम श्रेणी),ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए
483.17 14495

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाव लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.3.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक	मासिक
अकुशल	रुपए 350	रुपए 10500
अर्धकुशल:		
टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III,रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन,मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III,असैम्बलर ग्रेड- III,कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर,नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III,ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड-III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाइनमैन ग्रेड- III,बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।	रुपए 360.92	रुपए 10828
कुशल:-		
टेपर ग्रेड- II,टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड-II, शेपर ग्रेड-II , शेपर मैन ग्रेड-II, स्लाटरमैन ग्रेड- II, मशीनिस्ट ऑपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II,लाइनर ग्रेड-II,स्प्रे पैन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-II,प्रैस ऑपरेटर ग्रेड-II , असैम्बलर ग्रेड-II,टेलर ग्रेड-II,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II,ग्राइंडर ग्रेड-II,	रुपए 406.36	रुपए 12191

हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-॥, थ्रेड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, बुक स्कू मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, फिटर ग्रेड-॥, कारपेंटर / पैटर्न मेकर ग्रेड-॥, ड्राईमेकर ग्रेड -॥, साइस्टर ग्रेड-॥, वैल्डर ग्रेड-॥, टिनस्मिथ ग्रेड-॥, हैमरमैन ग्रेड-॥, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-॥, टूलसैटर ग्रेड-॥, इलैक्ट्रिकल लाइनमैन ग्रेड-॥, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-॥, आरमैचर वाइंडर और कॉएल वाइंडर ग्रेड-॥, केबल ज्वाइंटर ग्रेड-॥, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड-॥, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-॥, मोल्डर ग्रेड-॥, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड-॥, ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, शेपर मैन ग्रेड-॥, सलाटरमैन ग्रेड-॥, मिलर ग्रेड-॥, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-॥, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड-॥, फिटर ग्रेड-॥, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-॥, ड्राईमेकर ग्रेड-॥, एन्ग्रेवर ग्रेड-॥, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-॥, ड्राईसैटर ग्रेड-॥, टूल सैटर ग्रेड-॥, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-॥।

रूपए	रूपए
483.17	14495

क्लेरिकल स्टाफ:

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर।

रूपए	रूपए
375.62	11269

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) अर्द्ध-कुशल: अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) कुशल: कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम मजदूरी
चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, छायारण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुडाई करने, तुडाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	रूपए रूपए 350 दैनिक 10500 मासिक

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 25.32 रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 20.04 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 14.94 रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे। पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी' व 'सी' ग्रेड के लिए 25.32 रूपए, 20.04 रूपए और 14.94 रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को **355.95** रूपए प्रतिदिन, **10679** रूपए प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर, (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्वाएज, सार्टर्ज, टी-मेकर्स टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रूपए **350** दैनिक और

रूपए **10500** मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

रूपए **350** रूपए दैनिक

रूपए **10500** मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी

स्टाफ

1. लेखाकार रूपए **535.02** प्रतिदिन रूपए **16051** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रूपए **406.36** प्रतिदिन रूपए **12191** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रूपए **425.92** प्रतिदिन रूपए **12778** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी / चौकीदार / चौधरी रूपए **355.95** प्रतिदिन रूपए **10679** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रूपए 495.61	रूपए 14868
6. ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रूपए 444.50	रूपए 13335
7. मकैनिक	रूपए 499.60	रूपए 14988
8. असिस्टेंट मकैनिक	रूपए 442.53	रूपए 13276
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।	रूपए 499.60	रूपए 14988
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।।	रूपए 442.53	रूपए 13276

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4.2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रूपए 350 प्रतिदिन या रूपए 10500 प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रूपए 360.92 प्रतिदिन या रूपए 10828 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रूपए 406.36 प्रतिदिन या रूपए 12191 प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपए 483.17 प्रतिदिन या रूपए 14495 प्रतिमास

टिप्पणी:

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:**— अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**— उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

10.होटल और रेस्टोरेंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रेस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2022 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां खाना चाय और संयुक्त आवास की प्रसुविधा उपलब्ध करवाई गई है

1.

2.

3.

अकुशल:

रूपए.

रूपए

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लोकरूम अटेंडेंट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार / फायरमैन / पांडी / पोस्टर मैन/ कोई अन्य कामकार जो अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए 350 दैनिक

रूपए 324.47 दैनिक

रूपए 10500

रूपए 9734 मासिक

मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक बाइंडर / स्टिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली / होटल गाइड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट

रूपए-369.93

रूपए

340.11

प्रतिदिन

प्रतिदिन

रूपए 11098

रूपए 10203 मासिक

मासिक

वैल्डर/ असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/ असिस्टेंट सेल्जमैन / असिस्टेंट बार्बर / धोबी / प्रैसमैन / बॉयलरमैन/फिल्म रिवाइंडर / वाटर बेयरर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/व्हाइट वॉशर/पकौडा और चना मेकर/क्लर्क (नॉनमैट्रिक)/ असिस्टेंट स्टोर कीपर, डिस्ट्रीबूटर और असिस्टेंट मशीनमैन / इनक्वायरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

	रूपए	रूपए
ड्राइवर / हलवाई / कुक/ कन्फैक्शनर / बेकर/ स्टीवार्ड / बटलर/ ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर/ वेयरर/ स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड बेयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए 406.36 दैनिक रु० 12191 मासिक	रूपए 373.51 दैनिक रु. 11205 मासिक

उच्च-कुशल:

	रूपए	रूपए
स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) /अकाउंटेंट / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/ टेलर / कटर (टेलरिंग) ।	रु. 422.85 दैनिक रु० 12686 मासिक	रु. 391.38 दैनिक रु.11741 मासिक

टिप्पणी:

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।

5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:-** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2022** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रुपए 350 प्रतिदिन	या	रुपए 10500 प्रतिमाह
अर्ध-कुशल	रुपए 369.93 प्रतिदिन	या	रुपए 11098 प्रतिमाह
कुशल	रुपए 406.36 प्रतिदिन	या	रुपए 12191 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रुपए 422.85 प्रतिदिन	या	रुपए 12686 प्रतिमाह

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948(1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम

मजदूरी

दैनिक

मासिक

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक,पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक,एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक,टरनर का सहायक,इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक,वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का

रु.350

10500

सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाइम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाइप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर—कम—बेलदार, वांशर मैन, वांशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाइल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्ध—कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ रु.371.77 रु. 11153
जेडब्ल्यूआर क्रैन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिव्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेंट, जनरेटर अटैन्डेंट, लोकोमोटिव अटैन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेंट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाइम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाइप फिटर, दूरभाष अटैन्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट रु.406.36 रु.12191
ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रैन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, गैन्ट्री ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाइन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर,

ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टार बाइंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर ,स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग शीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ बेल्टर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सप्रे, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाइजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउन्टेन्ट खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पणी:-

- 1, समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों में न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निमार्णाधीन हाइड्रो इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ोतरी लागू होगी।
मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना निम्न दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी।

1	2	3	4	5	6	7
(क)	अकुशल	350	87.5	437.5	87.5	525
(ख)	अर्ध-कुशल	371.77	92.94	464.71	92.94	557.65
(ग)	कुशल	406.36	101.59	507.95	101.59	609.54
(घ)	उच्च कुशल	483.17	120.79	603.96	120.79	724.75

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

- संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.20221
समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " फार्मास्यूटिकल उद्योग"के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपरासी, ।	रुपए 350	रुपए 10500

अर्ध-कुशल :-

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेड ।	रुपए 360.92	रुपए 10828
---	-------------	------------

कुशल :-

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,	रुपए 406.36	रुपए 12191
---	-------------	------------

कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल:-

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, रूपए 483.17 रूपए 14495

मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेजेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,

बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और ब्यस्क या अब्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रूपए 350 दैनिक

रूपए 324.47 दैनिक

रूपए 10500 मासिक

रूपए 9734 मासिक

अर्ध-कुशल :-

क्लिनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, सिक्स्योरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर,

रूपए 369.93 दैनिक

रूपए 339.12 दैनिक

रूपए 11098 मासिक

रूपए 10174 मासिक

असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेड, और
वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेन्डेड (0 से 3 वर्ष अनुभव)

कुशल :-

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी	रूपए 406.36 दैनिक	रूपए 373.51 दैनिक
तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड	रूपए 12191 मासिक	रूपए 11205 मासिक
दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट स्टोर कीपर एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक, धोबी, वार्ड ब्वाय और वार्ड एटेंडेड(3 वर्ष से ऊपर का अनुभव)।		

उच्च कुशल ::-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ	रूपए 422.85 दैनिक	रूपए 391.38 दैनिक
इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो	रूपए 12686 मासिक	रूपए 11741 मासिक
ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर ।		

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:**— अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**— उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख:

शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन,चाय और उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:-

हेल्पर आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन और वॉशर मैन ।

रुपए 350 दैनिक

रुपए 296 दैनिक

रुपए10500 मासिक

रुपए 8880 मासिक

अर्ध-कुशल:-

सिक्योरिटी गार्ड और माली ।

रुपए 369.93 दैनिक

रुपए 306.88 दैनिक

रुपए11098 मासिक

रुपए 9206 मासिक

कुशल:-

कुक और चालक

रुपए 406.36 दैनिक

रुपए 326.92 दैनिक

रुपए 12191 मासिक

रुपए 9808 मासिक

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल:-** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2022** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **30.03.2022** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2022** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2022** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल :-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रूपए 350	रूपए 10500
अर्ध-कुशल :-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट।	रूपए 360.92	रूपए 10828

कुशल:-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।

उच्च कुशल:-

कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्सपेक्टर और स्टेनो ग्राफर।

रूपए 483.17 रूपए 14495

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:-** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल:-

	दैनिक	मासिक
हेल्पर और वॉच मैन ।	रुपए 350	रुपए 10500

अर्ध-कुशल :-

सिक्थोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रुपए 360.92	रुपए 10828
--	-------------	------------

कुशल:-

सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर,अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रुपए 406.36	रुपए 12191
---	-------------	------------

उच्च कुशल :-

सिक्थोरिटी ऑफिसर , सिक्थोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।	रुपए 483.17	रुपए 14495
--	-------------	------------

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
6. गैर जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक जल परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) कुशल:— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान

अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है जहां भोजन चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल:-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रूपए 350 दैनिक

रूपए 324.47 दैनिक

रूपए 10500 मासिक

रूपए 9734 मासिक

अर्ध-कुशल:-

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट ।

रूपए 369.93 दैनिक

रूपए 339.12 दैनिक

रूपए 11098 मासिक

रूपए 10174 मासिक

कुशल :-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पंडित, रूपए 406.36 दैनिक रूपए 373.51 दैनिक
कुक, मौलवी ग्रन्थी पादरी स्टोरकीपर, अकाउन्टस रूपए 12191 मासिक रूपए 11205 मासिक
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
और कैशियर ।

उच्च कुशल:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेंट, रागी, बजन्त्री, भजन रूपए 422.85 दैनिक रूपए 391.38 दैनिक
गायक,स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रूपए 12686 मासिक रूपए 11741 मासिक

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता है वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**— कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।
(Ph.No.0177-2880551)

अधिसूचना

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II

तारीख: शिमला-2

25.05.2022

19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टैक्स बैरियरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2022 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-एल तारीख 30-07-2020 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 30.03.2022 को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2022 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2022 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:-

चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।

न्यूनतम
दैनिक
रूपए 350

मजदूरी
मासिक
रूपए 10500

अर्ध-कुशल:-

हैल्पर कुक, केश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।

रूपए 360.92
प्रतिदिन

या रूपए 10828
प्रतिमाह

कुशल:-

इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

रूपए 406.36
प्रतिदिन

या रूपए 12191
प्रतिमाह

उच्च कुशल :-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।

रूपए 483.17
प्रतिदिन

या रूपए 14495
प्रतिमाह

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ कसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:-** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (i) **उच्च-कुशल:-** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

आर०डी० धीमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख: शिमला-2 25.05.2022

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(लैब) एम. डब्ल्यू/8/07 तारीख 21-04-2022 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(अनिल कुमार कटोच)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880551)